भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1834

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की माँग

1834. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विनिर्माण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में युवाओं के पास उक्त विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान कौशल विकास कार्यक्रम हमेशा भारतीय उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की मांगों के अनुसार नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए या उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र

कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है। इन एसएससी को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करने का अधिकार है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करती है और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मैपिंग करती है। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को कम करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस 2023-24) के अनुमान के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्रमशः 4.1% और 30.6% है।

भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। एमएसडीई की उपरोक्त स्कीमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है:

	पीएमकेवीवाई (प्रारंभन से दिनांक 31.12.2024)	**जेएसएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.12.2024)**	**एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से 31.12.2024)**	**आईटीआई (वर्ष 2018-19 से 2023-24)**
अखिल भारत	1,60,33,081	28,51,573	35,42,442	79,57,128
उत्तर प्रदेश	24,13,050	5,28,023	2,60,109	18,47,936

(ङ) और (च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से प्रदान किए गए कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप हैं, निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 8151 अर्हताएं अनुमोदित की हैं, जिनमें से 3089 अर्हताएं वैध एवं सक्रिय हैं तथा 5062 अर्हताएं अप्रासंगिक होने के कारण पुरालेखित हैं।

(ii) संबंधित क्षेत्रों में उद्योग के अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत एनएसडीसी उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

(iii) डीजीटी फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iv) भारत सरकार ने वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रयासों को संरेखित करने के लिए बारह देशों के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(v) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, आधुनिक युग/भावी कौशल जॉब रोलों को आगामी बाजार-मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

(vi) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) ने सीटीएस के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 31 आधुनिक युग/भावी कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा सके।

(vii) प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संबंध सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भागीदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) का उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है, जो अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस हो।

(ix) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी की है।

*****